न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/438

1. पन्ना लाल आत्मज श्री नन्दा जी जाति माली निवासी ग्राम बिचडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. नुरका बाई पत्नी स्वर्गीय पन्ना लाल ।
   1/2. पूरण आत्मज स्वर्गीय पन्ना लाल ।
   1/3. हजारा आत्मज स्वर्गीय पन्ना लाल ।
   1/4. जगन्नाथ आत्मज स्वर्गीय पन्ना लाल ।
   1/5. धापू बाई पुत्री स्वर्गीय पन्ना लाल ।
   1/6. पुष्पा बाई पुत्री स्वर्गीय पन्ना लाल जातियान माली निवासीगण ग्राम बिचडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. औंकार आत्मज श्री भूरा जाति माली ।
3. हजारा आत्मज श्री जगन्नाथ जाति माली ।
4. नोला आत्मज श्री बरधा जी जाति माली निवासीगण ग्राम बिचडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रामकिशन आत्मज केसरा जाति माली निवासी ग्राम बिचडी ।
2. शोजी लाल आत्मज केसरा जाति माली निवासी ग्राम बिचडी (मृतक) जरिये का0 मु0 :–
   2/1. बिरसी बाई पत्नी स्वर्गीय शोजी लाल ।
   2/2. रामप्रसाद आत्मज स्वर्गीय श्री शोजीलाल ।
   2/3. पिंकी पुत्री स्वर्गीय शोजी लाल ।
   2/4. पूजा पुत्री स्वर्गीय शोजी लाल नाबालिग जरिये संरक्षक माता बिरसी बाई पत्नी स्वर्गीय श्री शोजीलाल जाति माली निवीस बिचडी ।
3. नन्दा आत्मज केसरा जाति माली निवासीगण ग्राम बिचडी ।
4. नाथी बाई पत्नी स्वर्गीय श्री केसरा जाति माली (मृतक) इनके वारिस पूर्व से प्रकरण में पक्षकार होने से नाम डिलिट ।
5. राजेन्द्र शर्मा आत्मज रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवीस मानसरोवर कॉलोनी बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   5/1. अंजू शर्मा पत्नी स्वर्गीय राजेन्द्र शर्मा जाति ब्राह्मण ।
   5/2. राजन शर्मा पुत्री स्वर्गीय राजेन्द्र शर्मा जाति ब्राह्मण ।
   5/3. राजनन्दनी पुत्री स्वर्गीय राजेन्द्र शर्मा जाति ब्राह्मण निवासीगण मकान नं0 56 मानसरोवर कॉलोनी बून्दी ।
6. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।
7. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय, हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हेमेन्द्र सिंह आवावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 21.08.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम बिचडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में खसरा नम्बर 1325/80 रकबा 08 बीघा भूमि स्थित है । ग्राम बिचडी की भूमि खसरा नम्बर 80 जिसका कुल रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा है उक्त खसरा नम्बर गत् खसरा नम्बर 111 से बना है । गत खसरा नम्बर 111 में से 05 बीघा भूमि वादी क्रम 1 को आवंटित हुई थी । इसके साथ ही खसरा नम्बर 111 में से 02 बीघा भूमि वादी क्रम 1 को दिनांक 02.12.1968 को नियमन की गई थी । वादी क्रम 1 मौके पर 07 बीघा भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है । आवंटित और नियमन की गई भूमि पर आवंटन व नियमन के पूर्व ही वादी काबिज काश्त चला आ रहा है । खसरा नम्बर 80 में से 01 बीघा पर वादी संख्या 2 से 4 काश्त हैं । इस प्रकार वादीगण खसरा नम्बर 1325/80 रकबा 08 बीघा भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । गत खसरा न् 111 पर केसरा आत्मज देवीलाल का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है । प्रतिवादी क्रम 1 से 4 व इनके पिता व पति केसरा ने वादी क्रम 1 के आवंटित व नियमन की हुयी भूमि खसरा नम्बर 80 की 07 बीघा भूमि व वादी क्रम 2 से 4 की खसरा नम्बर 80 में स्थित कब्जे काश्त की 01 बीघा भूमि को राजस्व कर्मचारियों से मिलकर चुपचाप अपने नाम दर्ज करवा लिया जो वादीगण के विरूद्ध निष्प्रभावी है क्योंकि उक्त भूमि पर कभी इनका कब्जा नहीं रहा है । वादीगण गत 60 वर्षों से भी अधिक समय से वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण की जानकारी में शान्तिपूर्वक निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज काश्त चले जाने से वादीगण कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार बन चुके हैं ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि खसरा नम्बर 1325/80 रकबा 08 बीघा भूमि पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर वादी क्रम 1 के नाम 07 बीघा भूमि पर वादी संख्या 2 से 4 के नाम संयुक्त रूप से 01 बीघा भूमि खाते दर्ज की जावे एवं उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे एवं वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रतिवादीगण का नाम विलोपित किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1325/80 के किसी भू–भाग पर जबरन कब्जा नहीं करे तथा वादीगण को उनके कब्जे से बेदखल नहीं करे तथा उक्त भूम को रहन, बेचान नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.07.2015 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.07.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट की इत्तला होकर जवाबदावा प्रस्तुत करने के लिए तारीख नियत की गई थी । प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण को इत्तला हो चुकी थी, प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा पेश किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण से जवाब दावा लिये बिना ही, तनकीयात कायम किये बिना ही शहादत किये बिना ही लोक अदालत में निर्णय एंव डिक्री पारित की है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । पक्षकारान के मध्य अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा नहीं हुआ है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण के जवाबदावा हेतु तारीख नियत थी उनसे जवाब लिये बिना, तनकीयात कायम किये बिना, साक्ष्य लिये बिना, सीपीसी की पालना किये बिना लोक अदालत में विधि–विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है । वादग्रस्त आराजी के बाबत् अपीलान्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा भी जारी की गई थी । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट को नियमन की गई थी जिस पर वो विधिक रूप से काबिज काश्त हैं । प्रतिवादी रेस्पोडेन्टगण ने गलत रूप से आराजी अपने खाते दर्ज करवा ली है जिससे उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । अपीलान्ट को अपना दावा सिद्ध करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील अवधि बाधित है, विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है । विलम्ब को शमन करने हेतु प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र पेश नहीं किया है । कब्जा मुखालफाना के आधार पर अपीलान्ट खातेदारी अधिकार चाहते हैं जो प्रदान नहीं किये जा सकते । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.07.2015 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा एक दावा पेश किया था । पत्रावली जवाबदावे में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादीगण पन्नालाल, औंकार, हजारा और नोला की उपस्थिति दर्ज की गई है । प्रतिवादीगण में से कोई भी उपस्थित नहीं हुए हैं । पत्रावली प्रतिवादीगण के जवाबदावे में लम्बित थी बिना

प्रतिवादीगण से जवाबदावा लिये, बिना साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लिये, लोक अदालत में वाद वादी खारिज किया गया है । पक्षकारों के द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया गया है ।

10. विद्धान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपील अपीलान्ट विलम्ब से पेश की गई है । उनका यह कथन सही नहीं है अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्दर मियाद पेश नहीं की गई है । उक्त अपील अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.07.2015 के विरूद्ध दिनांक 28.09.2015 को पेश की है । अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र अपीलान्ट द्वारा दिनांक 07.07.2015 को पेश कर दिया गया था जिसकी नकल दिनांक 30.07.2017 दी गई । इस प्रकार नकल प्राप्ति की तिथि से अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्दर मियाद पेश की है ।

11. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 04.10.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 21.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21/8/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा